सं0 स0 14/एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली। 110029

पटना, दिनाक.. .....

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अंगज कुमार पिता– कुदन ठाकुर ग्राम– शुभकरपुर सतिहारा टोला पो0– शुभंकरपुर थाना– नगर जिला– दरभगा यूएचआईडी न0– 107797208	IBD Chron's Disease	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	रबिन्द्र कुमार पिता– बिन्देश्वर यादव ग्राम– टडवा पो0– लोदीपुर थाना– परैया जिला– गयाजी यूएचआईडी न0– 109309824	Severe Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	नसीमा खातून पति– हसमत असारी ग्राम– नजीबा पो0+थाना– सहाजितपुर जिला– सारण यूएचआईडी नं0– 108570874	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।

4	अयांश मडल पिता– रामप्रवेश मडल ग्राम– शारदापुर पो0– गगौली थाना– सकतपुर जिला– दरभगा यूएचआईडी नं0– 106794720	बोन मैरो ट्रासप्लाट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।
			7,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,00,,000/– **(सात लाख)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000888 .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10874588593, खाता धारक का नाम– AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार– चालु, बैक का नाम–एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम–**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536),** RTGS/IFSC कोड स0– SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चत किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिचित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2731 (14) पटना, दिनाक 08/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 000888 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी सबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/10/26
निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14 /एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक,

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली–110029।

पटना, दिनांक .. . .

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	2	3	4	5
1	अरूण कुमार राय पिता– धर्मदेव राय ग्राम+पो0– रक्सा थाना– करजा जिला– मुजफ्फरपुर यूएचआईडी नं0– 108571471	हृदय रोग एमवीआर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	अमरजीत कुमार पिता– रामचद्र दास ग्राम+पो0– लोहागीर थाना– उजियारपुर जिला– समस्तीपुर यूएचआईडी न0– 108469703	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
			1,85,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹** 1,85,000/- (**एक लाख पचासी हजार**) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 00.088.8 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–10874584258, खाता धारक का नाम–AIIMS CT PATIENT'S'ACCOUNT खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–.**अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536)**, RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जाय ।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2732(14) पटना, दिनाक 08/10/2021

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किसलग्न चेक स0 000888 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/.एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान,
असारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनाक..... .

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक **30.09.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	**मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या**	**बीमारी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**राशि शब्दो में**
1	2	3	4	5
1	संतोष कुमार झा पिता– स्व0 चद्रमोहन झा ग्राम– सिंहपुर पो0– गोवराय थाना– सजौर जिला– भागलपुर यूएचआईडी नं0– 101382421	गुर्दा प्रत्यारोपण	2,75,000	दो लाख पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			2,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,75,000/– (दो लाख पचहत्तर हजार)** मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000888 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 – 10874584010, खाता धारक का नाम– **निदेशक, अ0 भा0 आ0 सं0**, खाते का प्रकार– चालु, बैंक का नाम–**एस0 बी0 आई0**, शाखा का नाम–**.अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536)**, RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001536 में अतरित किया जाता

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जाय।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2733(14) पटना, दिनाक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.000888.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)// आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, **संबंधित मरीज को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026 2734(14)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
नई दिल्ली–29 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान
झज्जर

पटना, दिनाक 08/10/2026

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक में लिये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	आशीष कुमार राय पिता– सजीव राय ग्राम– राजपुतान मुहल्ला वार्ड 26 पो0– डेहरी ऑन सोन थाना– डेहरी नगर जिला– रोहतास यूएचआईडी नं0– 108875519	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	पवन कुमार पिता– राम मोहित सिंह ग्राम– कचहरीपुर पो0– बधुबन बसहा थाना– बाजपटी जिला– सीतामढी यूएचआईडी न0– 108061347	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			2,00,000	

नोट :– **चेक/RTGS/NEFT "NCI PATIENT TREATMENT Account" के नाम से निर्गत।**

A/C No. 39575186672, IFSC Code SBIN0061298.

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000 /– **(दो लाख)** रूपये का क्रास चेक स0 000888 .... मूल रूप में सलग्न है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2734 (14) पटना, दिनाक 08/10/2024

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ संबंधित मरीजे /आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
सजय गाधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान सस्थान,
राय बरेली रोड, लखनऊ,–226014

पटना, दिनांक ..

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राषि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अदया यादव पिता– गया यादव ग्राम– सग्रामपुर पो0+थाना– योगापट्टी जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर न0– 2026568056	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रिंकी कुमारी पति– रंजन कुमार ग्राम– तोला बिगहा पो0– बनोली थाना– खानपुर खीडीमोड जिला– पटना सीआर न0– 20251138671	Takayasu Arteritis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	दिनेश यादव पिता– योगेंद्र यादव ग्राम– नौगावा पो0+थाना– योगापट्टी जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर नं0– 2026794563	Aplastic Anemia	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
4	धर्मेद्र कुमार पिता– बिदेश्वर राम ग्राम– रूसुलपुर सलीम पो0– भीखनपुर थाना– अहियापुर जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2024341588	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

5	मुसर्रत खातुन पति– इसरार अहमद ग्राम+पो0–पिपरालतीफ थाना– मडैया जिला– खगडिया सीआरन0–2026819667	कैसर रोग	2,20,000	दो लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
6	रामप्रीत साह पिता– चन्देश्वर साह ग्राम+पो0+थाना– कुढनी जिला– मुजफ्फरपुर सीआर न0– 2026909871	टोटल नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
7	शिव शकर प्रसाद पिता– केदार प्रसाद सिह ग्राम– मथुरिया पो0– बिहारशरीफ थाना– लहेरी जिला– नालदा सीआर नं0– 2010293797	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	कमला देवी पिता/पति– राजेश सिह ग्राम+पो0– खजुहट्टी थाना– माझी जिला– सारण सीआर नं0– 2022153481	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
9	राजीव कुमार पाडेय पिता– केशव पाडेय ग्राम– जैतिया पाडेय टोला पो0– जईछपरा थाना– माझी जिला– सारण सीआर न0– 2026559884	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	संजय कुमार सुमन पिता– दामोदर प्रसाद ग्राम– महमदपुर देवपार वार्ड 06 पो0+थाना– पूसा जिला– समस्तीपुर सीआर न0– 2026343134	कैसर रोग/ट्यूमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	नदकिशोर प्रसाद पिता– स्व0 मुनिलाल नोनिया ग्राम– मिककसरहि मठिया पो0+थाना– मैरवा जिला– सिवान सीआर नं0– 2025961414	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
12	अंजली कुमारी पिता– शिव जी प्रसाद जायसवाल ग्राम– सहिद चौक गंज न0 01 वार्ड 15 पो0– बेतिया थाना– नगर जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर नं0– 2016024311	कोकलियर इम्प्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

13	सरोज देवी पति– ध्रुप सिह ग्राम– मटकोटा पो0– मच्छरगांवा थाना– योगापट्टी जिला– पश्चिम चम्पारण सीआर न0– 2026756827	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
14	दीपक कुमार चौधरी पिता– राजेश चौधरी ग्राम– महम्मदपुर वार्ड 15 पो0– महम्मदपुर थाना– माझी जिला– सारण सीआर न0– 2026018573	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	विवेकानंद आर्य पिता– नविन प्रसाद साह ग्राम+पो0– इटवा थाना– धरहरा जिला– मुंगेर सीआर न0– 2026725700	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
16	गोपाल शरण सिंह पिता– श्यामसुन्दर सिह ग्राम– बिश्रामपुर पो0+थाना– इमामगज जिला– गयाजी सीआर न0– 2025666181	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मो0 चॉद खा पिता– सेराजुद्दीन खां ग्राम+पो0+थाना– दिनारा जिला– रोहतास सीआर नं0– 2020200337	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	नितेश कुमार सिह पिता– राजेंद्र प्रसाद सिह ग्राम+पो0– बलीगाव थाना– आयर जिला– भोजपुर सीआर नं0– 2025707733	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
19	सीता देवी पति– अमेरिकालाल शर्मा ग्राम– रकबा वार्ड 08 पो0+थाना– भोरे जिला– गोपालगज सीआर न0– 2026886321	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	प्रेम नाथ तिवारी पिता– राम जतन तिवारी ग्राम– सिहौता बाजार पो0+थाना– महाराजगंज जिला– सिवान सीआर नं0– 2026723978	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			29,70,000 -/	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 29,70,000/– (उनतीस लाख सत्तर हजार)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000888 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 10095237548 खाता धारक का नाम–''**निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0** खाता'' खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**भारतीय स्टेट बैंक,** शाखा का नाम–**एस0जी0पी0जी0आई0,** RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2735 (14) पटना, दिनांक 08/10/2021

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000888 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,/अधीक्षक
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान
संस्थान, गोमती नगर
लखनउ –226010

पटना,दिनाक–

विषय– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	माधुरी देवी पति– भारत मिश्रा ग्राम+पो0– डरैली मठिया थाना– दरौली जिला– सिवान	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रमेन्द्र कुमार महतो पिता– लोकनाथ महतो ग्राम– फेनहरा वा र्ड 17 पो0– अमरदह थाना– तरैया जिला– सारण	स्पाईन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			2,50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को ''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'', खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000.886 .. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–6193000100005944, खाता धारक का नाम–MS DR.RMLIMS HOSPITAL ADMINISTRATION खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**पंजाब नेशनल बैंक**, शाखा का नाम–**विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ** RTGS/IFSC कोड स0–PUNB0619300 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक माग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 2736 (14) पटना, दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000888 ....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेश्लीटी
कैंसर इंस्टीच्युट,
सीजी सी0टी0 सुल्तानपुर रोड,
लखनउ–226002

पटना, दिनाक .. ..

विषय.– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	
1	चन्दन यादव पिता– स्व0 रामबडाई यादव ग्राम– बिहारी बुजुर्ग पो0+थाना– गुठनी जिला– सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	रामलछन राय पिता– दसई राय ग्राम– देवपुरा वार्ड 06 पो0– देवपुरा थाना– रसूलपुर जिला– सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,80,000/	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,80,000/– (एक लाख अस्सी हजार)** के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000886. .....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **00000038717091686,** खाता धारक का नाम– **DIRECTOR KSSSCI AND H LUCKNOW,** खाते का प्रकार–, बैक का नाम– **STATE BANK OF INDIA,** शाखा का नाम– **SGPGI(07789),** RTGS/IFSC कोड सं0 **SBIN0007789** में अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2737 (14) पटना, दिनाक 08/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0.000888... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई.टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

Date	: 15 Sep 2025
Account Number	: 00000038717091686
Description	: CA-GEN-PUB-OTH-RJRAL-INR
Name	: DIRECTOR KSGSCI AND H LUCKNOW
Currency	: INR
Corporate Address	C.G. City, off Sultanpur road
Lucknow	Lucknow Uttar Pradesh-226002
Branch	: SGPGI(07789)

स0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
सर सुन्दर लाल अस्पताल,
इस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइस
वाराणसी –**221005**

पटना, दिनाक.. ....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक– **30.09.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है·–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	रागिनी कुमारी पिता– सत्येन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम– बराढी पो0– गिरधरपुर थाना– सिकरौल जिला– बक्सर एमआरडी न0– 8287103	IBD - CD	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
2	आशमा खातून पति– मो0 जैनुल ग्राम+पो0– नया भोजपुर थाना– नया भोजपुर जिला– बक्सर एमआरडी न0– 7111661	Low Back ache paralysis	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	ताजुद्दीन पिता– सलामुद्दीन राय ग्राम+पो0+थाना– मोहनियॉ जिला-- कैमूर भभुआ एमआरडी नं0– 8444740	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	रोहित कुमार पिता– शुभराज यादव ग्राम– रनहा झौवा टोला वार्ड 08 पो0– सुर्यपुर थाना– श्रीनगर जिला– पश्चिम चम्पारण एमआरडी नं0– 8264265	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	भरत ठाकुर पिता– मुनेश्वर ठाकुर ग्राम– गीता घाट कॉलोनी फजलगज पो0+थाना– सासाराम जिला– रोहतास एमआरडी न0– 8325769	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	रूखशाना बेगम पति– मो0 नेजाम ग्राम– पिराहीबाग वार्ड 16 पो0+थाना– दाउदनगर जिला– औरंगाबाद एमआइरडी न0– 8561524	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	हवलदार बैठा पिता– बिग्गू राम ग्राम– मदुरना वार्ड 09 पो0– हाटा थाना– चैनपुर जिला– कैमूर भभुआ एमआरडी न0– 7831707	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	अरूण बिन्द पिता– स्व0 रामकवल बिन्द ग्राम– ढोढी पो0– महुआरी थाना– सोनहन जिला– कैमूर भभुआ एमआरडी न0– 8466831	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	फूलमती देवी पति– रामनरेश राम ग्राम– भठवा रूप पो0– सिसवा थाना– कुचायकोट जिला– गोपालगंज एमआरडी न0– 8412733	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	चद्रावती देवी पति– शंकर दयाल सिह ग्राम– बगौती पो0– पुराहारा थाना– चौरी जिला– भोजपुर एमआरडी न0– 5366561	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	सविता देवी पति– राम प्रवेश सिंह ग्राम– धरहरा पो0– करहसी थाना– नटवार जिला– रोहतास एमआरडी न0– 8569147	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	जमुनी देवी पति– बसंत ठाकुर ग्राम– मगरावा वार्ड 10 पो0– फुरहुरिया थाना– परैया जिला– गयाजी एमआरडी न0– 8564881	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	सुगन्धि देवी पति– रामायण महतो ग्राम+पो0– गोबरौरा थाना– लौरिया जिला– पश्चिम चम्पारण एमआरडी न0– 6352532	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 13,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,00,000/– (**तेरह लाख**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000888 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **27790100039150** खाता धारक का नाम– **Other-Paitent Relief Fund BHU**, खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **Bank of Baroda**, शाखा का नाम– **BHU, Varanasi**, RTGS/IFSC कोड स0 BARB0BHUVAR में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनि"चत किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**
5. **चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**
6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2738(14) पटना, दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0000888.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
होमी भाभा कैसर अस्पताल
घंटी मिल रोड, लहरतारा,
ओल्ड लोको कालोनी, शिवपुरवा
वाराणसी 221002

पटना, दिनाक...

विषय:– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रिंकू कुमारी पति– अनिल कुमार सिह ग्राम– बलिगाव पो0– जबरा थाना– नोखा जिला– रोहतास केस फाईल नं0–18एफ2026/016215	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	जोगिया देवी पति– बेचू यादव ग्राम– गगाछापर वार्ड 02 पो0– मुसहरी बाजार थाना– विजयी पुर जिला– गोपालगज केस फाईल न0–18एफ2025/011004	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	मास्टर शिवम कुमार पिता– सिकदर चौधरी पासी ग्राम– बरडीहा वार्ड 01 पो0– बढौना थाना– चैनपुर जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल नं0–16एफ2026/001852	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	मोजफर देवान पिता– एबरार देवान ग्राम– लाछपुर पो0– रतनपुरा थाना– गोपालपुर जिला– गोपालगंज केस फाईल न0–18एफ2025/014611	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	शिवानी देवी पति– स्व0 दिनेश कुमार ग्राम– नविन नगर वार्ड 07 पो0+थाना– नवादा जिला– नवादा केस फाईल न0–18एफ2026 / 014432	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	अकलेश पासवान पिता– बैधनाथ पासवान ग्राम– पररी हरनाथ वार्ड 14 पो0– बहलोलपुर थाना– चकिया जिला– पूर्वी चम्पारण केस फाईल न0– केई / 51573	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	मदन चौधरी पिता– स्व0 तिलकधारी चौधरी ग्राम+पो0+थाना– अम्बा जिला– औरगाबाद केस फाईल न0–18एफ2025 / 021113	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	मास्टर आयुष यादव पिता– बलिराम कुमार ग्राम– सिकदरपुर पो0– मेहदावा थाना– मनेर जिला– पटना केस फाईल नं0–16एफ2026 / 001651	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	कल्पना कुमारी पति– अशोक कुमार सिह ग्राम– पिपरा पो0– तरहारी थाना– हलसी जिला– लखीसराय केस फाईल नं0–19एफ2026 / 000668	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	युशमानद सिह पिता– स्व0 जगस्नाथ सिह ग्राम+पो0– जमुहार थाना– डेहरी जिला– रोहतास केस फाईल न0–16एफ2026 / 000386	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	हीरामणि देवी पति– ललन राम ग्राम– कुंज गली पो0– गुलजारबाग थाना– आलमगंज जिला– पटना केस फाईल न0–18एफ2026 / 012914	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

12	ज्योति देवी पति– अखिलेश कुमार ग्राम+पो0– केसठ थाना– नावानगर जिला– बक्सर केस फाईल न0–18एफ2026 / 004870	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
13	गोविन्द कुमार पिता– राजेश्वर सिह ग्राम– डेरवा पो0– सोनगढवा थाना– गोपालपुर जिला– गोपालगज केस फाईल न0–16एफ2025 / 000964	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
14	सरस्वती देवी पति– रमा नद सिंह ग्राम+पो0+थाना– रामगढ जिला– कैमूर भभुआ केस फाईल नं0– केई / 15856	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
15	अभिनन्दन कुमार पिता– बिनोद कुमार ग्राम– प्रतापपुर पो0– बैजदा थाना– फतेहपुर जिला– गयाजी केस फाईल न0–16एफ2024 / 002041	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
16	उषा देवी पति– बिपिन बिहारी ग्राम– शिवन वार्ड 07 पो0– धनेज थाना– करगहर जिला– रोहतास केस फाईल नं0–18एफ2026 / 010813	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	वरूण मंडल पिता– भूदेव मडल ग्राम+पो0– बिशनपुर जिच्छो थाना– लोदीपुर जिला– भागलपुर केस फाईल नं0–16एफ2024 / 001656	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
18	राधेश्याम प्रसाद पिता– महावीर प्रसाद ग्राम– महुराही पो0– शिवपुर कुनाई थाना– धनगाई जिला– भोजपुर केस फाईल न0–18एफ2026 / 014250	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	मास्टर विराट कुमार पिता– दीपू कुमार ग्राम+पो0– मानिकपुर थाना– धनसोई जिला– बक्सर केस फाईल न0–16एफ2026/001735	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
20	दरोगा सिह पिता– राम अवतार सिह ग्राम– सोता धरहरा पो0+थाना– कटेया जिला– गोपालगंज केस फाईल न0–16एफ2026/000693	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
21	महेश पाडेय पिता– गौरी शकर पाडेय ग्राम– के–146 हनुमान नगर कंकडबाग पो0– लोहिया नगर थाना– पत्रकार नगर जिला– पटना केस फाईल न0–18एफ2026/014050	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			18,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 18,60,000/- (**अठारह लाख साठ हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000888..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **3675632747** खाता धारक का नाम– **होमी भाभा कैंसर हौस्पीटल,वाराणसी,** खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– Tata Memorial Cancer (TMC) Hospital, Varanasi, RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0285166 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली**

रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2739 (14) पटना, दिनाक– 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000888.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई.टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14 / एम 11–01 / 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई –400012

पटना, दिनाक.... . .

विषयः– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **30.09.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमा क	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	विक्की कुमार पिता– सरोज सिह ग्राम– सादीपुर पो0+थाना– गोरेयाकोठी जिला– सिवान केस फाईल न0– 11एफ2026 / 024230	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	रूचिका दिव्या पिता– बिनय कुमार मिश्रा ग्राम– नेक नाम साह दरगाह लेन भीखनपुर गुमटी न0 2 पो0– भागलपुर थाना– ईशाकचक जिला– भागलपुर केस फाईल न0– 11एफ2025 / 022004	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	कुमारी माला पति– सूर्यानद यादव ग्राम– गोलहा पो0– मनुलहपट्टी थाना– भरगामा जिला– अररिया केस फाईल नं0– 11एफ2026 / 002123	कैसर रोग	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	सनोज यादव पिता– युगेश्वर यादव ग्राम– प्रेमजीवर पो0– लहेरिया सराय थाना– फेकला जिला– दरभंगा केस फाईल न0– 12एफ2026 / 001967	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,20,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 4,20,000/-** (**चार लाख बीस हजार**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान /अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0

बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000888. .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0 **1002449683** खाता धारक का नाम– **टाटा स्मारक अस्पताल परेल मुम्बई,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,** शाखा का नाम– **टी0एम0एच0,** RTGS/IFSC कोड स0 CBIN 0284241 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2740(14) पटना, दिनाक 08/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000888 ... की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0 सं0 14/एम 11–01/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,/अधीक्षक
Yashoda Medicity,
Shakti Khand-2, Indirapuram,
Ghaziabad - 201014

पटना,दिनाक–

विषय – **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **30.09.2026** की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	प्रहलाद सिह पिता– स्व0 केशरी सिह ग्राम– गिरधरिया पो0+थाना– दिनारा जिला– रोहतास	हृदय रोग सीएबीजी	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
			1,20,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,20,000/– (एक लाख बीस हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000886 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– 99999999972740, खाता धारक का नाम– M/s YASHODA SUPER SPECIALITY HOSPITAL PRIVATE LIMITED, खाते का प्रकार– CURRENT ACCOUNT, बैक का नाम– HDFC BANK LTD, शाखा का नाम– Yashoda Medicity, Hospital Plot, Shakti Khand – 2, Indirapuram, Ghaziabad - 201014, RTGS/IFSC कोड स0– HDFC0002653 मे अतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को**

कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही करें।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2757 (14) पटना, दिनाक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0. 000888. की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सभ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एवं अगवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

[illegible] for M/S YASHODA SUPER SPECIALITY HOSPITALS PRIVATE LIMITED [illegible] PD/MEMO/[illegible]

We hereby [illegible]

Details of [illegible] M/S YASHODA SUPER SPECIALITY HOSPITALS PRIVATE LIMITED

Account No. [illegible] 30550388[illegible]

Branch [illegible] Jubilee Hills

IFSC Code SBIN0[illegible]

Limit Sanctioned [illegible] Rs.[illegible]/- (RUPEES [illegible] ONLY)

Purpose [illegible] Working Capital Facilities [illegible] Limit Sanctioned vide Letter No. [illegible] dated [illegible]

Date of Account Opening [illegible]

This letter has been issued [illegible] responsibility on part of the Bank [illegible]

For [illegible] Bank Limited

Date: June 25, 2025

To Whomsoever It May Concern

This is to certify that [illegible] has been maintaining [illegible] with our bank since [illegible] and has been [illegible]

We hereby confirm the following particulars of the account:

Account Title	[illegible]
Account Number	[illegible]
IBAN	[illegible]
Account Type	[illegible]
Registered Address	[illegible]
Branch & Bank Islamabad - 2[illegible]	[illegible]
Date of A/c Opening	[illegible]

This letter has been issued upon request of the account holder without any responsibility on part of the bank or any of its employees.

For HBL Bank Limited

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

स0 स0 14/ एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी,
सेक्टर–38, गुरूग्राम, हरियाणा,
पिन–122001

पटना, दिनाक. . . ..

विषय:– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	राकेश कुमार निराला पिता– बबन सिंह ग्राम– ज्योति प्रकाश चौक कोइरपुरवा पो0– बक्सर थाना– मॉडल जिला– बक्सर	हृदय रोग सीएबीजी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			1,50,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार)** रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000888..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0–**106905001433,** खाता धारक का नाम– **ग्लोबल हेल्थ प्रा0 लि0, पेयबल– दिल्ली/गुड़गांव,** खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–ICICI Bank, शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0001148 मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार**

निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2758 (14) पटना, दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 000888 . की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीज के** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/ एम 11–1/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Medanta Hospital,
Sector-A, Pocket 1,
Shushant Golf City, Amar Shaheed Path,
Lucknow - 226030

पटना, दिनांक. .

विषय– ''**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

''मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष'' के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे नर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में।
1	2	3	4	5
1	बाल्मीकि प्रसाद पिता– लक्ष्मी निवास प्रसाद ग्राम– बिचली बाजार मैरवा पो0+थाना– मैरवा जिला– सिवान	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			50,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 50,000/–** (**पचास हजार**) रू0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000888 .द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0– **41120248418,** खाता धारक का नाम– Global Health Limited, खाते का प्रकार– , बैक का नाम– STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम–, RTGS/IFSC कोड सं0– SBIN0004298 मे अतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।**

प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code- SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2759 (14) पटना, दिनाक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0.000888 ..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना **संबंधित मरीज के** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14 /एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
एपेक्स अस्पताल प्रा0 लि0
डी0एल0 डबलु हाईडील रोड,
वाराणसी। 221004

पटना, दिनाक .....

विषय– **''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष'' से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक **30.09.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	गिरीश नारायण सिंह पिता– रामचद्र सिंह ग्राम+पो0– कथरई थाना– परसथुऑ जिला– रोहतास	टोटल हीप रिप्लेसमेट	1,70,000	एक लाख सत्तर हजार स्वीकृत।
2	मास्टर रोहित कुमार पिता– सुखन शर्मा ग्राम– अगरसी डिहरा पो0– बरहरी थाना– बडहरी जिला– रोहतास	ट्रामा / दुर्घटना	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	मेहरून बीबी पति– माजिद नाई ग्राम– महौरी पो0– पवनी थाना– मुफस्सिल जिला– बक्सर	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	ददन साह पिता– रघुनी साह ग्राम+पो0– गगपुर सिसवन थाना– सिसवन जिला– सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	जय गोपाल सिह पिता– स्व0 रामदेव सिह ग्राम– केकढा पो0– रूपपरू थाना– मोहनियॉ जिला– कैमूर भभुआ	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

6	नागेद्र कुमार सिंह पिता– जगनारायण सिंह ग्राम+पो0– सकरी थाना– कुदरा जिला– कैमूर भभुआ	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	उमेश उपाध्याय पिता– अनिरूद्ध उपाध्याय ग्राम– सोहनीपट्टी पो0– बक्सर थाना– मॉडल जिला– बक्सर	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	इंदु देवी पति– पिन्टू रजक ग्राम– कीर कला पो0+थाना– सोनहन जिला– कैमूर भभुआ	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
9	दिलीप ठाकुर पिता– सरयू ठाकुर ग्राम– तिउरा पो0– नौहट्टा थाना– चुटिया जिला– रोहतास	कैंसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
10	आशा देवी पति– दिनेश्वर पाठक ग्राम– भावाडीह पो0– अख्तियारपुर थाना– करगहर जिला– रोहतास	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
11	शबनम खातून पति– जमील खान ग्राम– मोहानी पो0– शिवपुर थाना– बिक्रमगंज जिला– रोहतास	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			10,60,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 10,60,000/– (दस लाख साठ हजार)** रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता स0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000888 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0–**36180579026,** खाता धारक का नाम– **APEX WELCARE PVT, LTD** खाते का प्रकार– , बैक का नाम– **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,** शाखा का नाम– **SPECIALISED COMMERCIAL BRANCH JAIL ROAD VARANASI** RTGS/IFSC कोड सं0–SBIN0009252 में अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करना सुनिश्चित किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को वापस किया जाय।**

6. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 2760(14) पटना, दिनाक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0. 000886 .की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
Sai Medicity Pvt. Ltd. Multi-Speciality Hospital,
B 33/33-52, Rohit Nagar, Naria,
Varanasi - 221005

पटना, दिनाक. . ...

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक– **30.09.2026** की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है–

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3		5
1	राजीव कुमार सिंह पिता– दिनेश्वर सिह ग्राम– बैरिया पो0– नबीनगर रोड थाना– नबीनगर जिला– औरगाबाद	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/– (एक लाख)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष**, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000868 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0 **4779002100003331,** खाता धारक का नाम– **Sai Medicity Pvt. Ltd.**, खाते का प्रकार–, बैक का नाम– **PNB Bank,** शाखा का नाम– **Lanka, Varanasi,** RTGS/IFSC कोड सं0– **PUNB0477900** मे अतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।**

5. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही किया जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

6 **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

7 **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2761 (14) पटना, दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 000888 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि'– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14 /एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 न0–3,भेल्लोर–632004

पटना, दिनाक

विषय – "**मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 मे अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	रौबट कुमार पिता– अशोक सिह ग्राम– महमदपुर पो0+थाना– हसपुरा जिला– औरंगाबाद सीएमसी न0– एआर 06554	स्पाईन सर्जरी	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	शशि शेखर सिह पिता– राज बिहारी सिह ग्राम+पो0– पिटरो थाना– अगिआंव जिला– भोजपुर सीएमसी न0– एक्यू 23150	कैंसर / ट्यूमर	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
3	किरण देवी पति– स्व0 अरूण कुमार ग्राम– राम बिगहा पो0– तरार थाना– दाउदनगर जिला– औरगाबाद सीएमसी नं0– एएन 80694	बोन मैरो ट्रांसप्लाट	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
4	राज कुमार श्रीवास्तव पिता– ललन प्रसाद ग्राम– पतौरा लाला टोला पो0– पतौरा थाना– मुफस्सिल जिला– पूर्वी चम्पारण सीएमसी न0– एपी 96556	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	संजीत कुमार पिता– बिरजू राम ग्राम– लट्टा वार्ड 09 पो0– लट्टा थाना– पौथु जिला– औरंगाबाद सीएमसी न0– एआई 18806	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
6	वोनु यादव (Vonu Yadav) पिता– मोहन यादव ग्राम– ईंगुनी पो0+थाना– परैया जिला– गयाजी सीएमसी न0– एक्यू 63988	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
7	नवल किशोर चौधरी पिता– स्व0 राजेंद्र चौधरी ग्राम– शम्भुनाथपुर ढोली वार्ड 04 पो0– डी ए कॉलेज थाना– सकरा जिला– मुजफ्फरपुर सीएमसी नं0– एक्यू 68576	हृदय रोग पेसमेकर	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	नीलेश कुमार पिता– नन्द कुमार सिह ग्राम+पो0– पहाडपुर थाना– अकबरपुर जिला– नवादा सीएमसी न0– एपी 37661	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			12,85,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 12,85,000/– (**बारह लाख पचासी हजार**) मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 000888 ....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता स0–36889551846, खाता धारक का नाम– C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–एस0बी0आई0, शाखा का नाम–.भेल्लोर, टाउन ब्राच (1618), RTGS/IFSC कोड स0–SBIN 0001618 मे अतरित किया जाता ।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4 **गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।**

5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार अनुदान**

की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. **चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय।** मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय । **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय । मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।**

7. **यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।**

8. **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /–

(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2762(14) पटना, दिनाक 08/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0 000888 . की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलेपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ **सभी संबंधित मरीजो को** सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0 14/एम 11–01/2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख

सेवा मे ,

निदेशक
बी0एम0 बीडला,हार्ट रिसर्च, सेटर
1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु
कोलकत्ता–700027

पटना, दिनाक .. .

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनाक **30.09.2026** की बैठक मे निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजो को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	मो0 आसिफ इकबाल पिता– मो0 वली आलम ग्राम– नियर इण्डियन गैस एजेसी करबिगहिया पो0– जी0पी0ओ0 थाना– जक्कनपुर जिला– पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि **₹ 1,00,000/–** (**एक लाख**) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 000888 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रासफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0– **232102000000002,** खाता धारक का नाम– बी0एम0 बीडला हार्ट रिसर्च सेटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार–चालु, बैक का नाम–**इंडियन ओवरसीज बैंक,** शाखा का नाम–**7/2 डायमंड हरबर रोड कोलकता–700027 ब्रांच,** RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA0002321 मे अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त ''बिहार लोक माग वसुली अधिनियम'' के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। **मरीजों को कितनी बार**

अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार–बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. चिकित्सा **CGHS** के दर पर ही किया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम– "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0– **30121380424, IFSC Code-SBIN0006379,** शाखा– एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर **(RTGS/NEFT)** के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

6. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डॉ0 (श्रीमती) रेखा झा)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 2763 (14) पटना, दिनांक 08/10/2026

प्रतिलिपि– शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक स0.000888 ..की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका–2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि– लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख